राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 215/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत्त–सी, उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पी.ई.एस.इन्सटालेशन प्रा.लि.,
जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री जतिन हरजाई,
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 02/आरएसटी/एनआरडी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2005 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत शास्ति राशि रूपये 84,831/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2005 को वाहन संख्या HR-38J/6847 को चैक किया गया। वाहन में लदे माल सम्बन्धित दस्तावेजात वाहन चालक/माल प्रभारी से मांगे जाने पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई, इस्तावेज जो जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल के साथ वांछित घोषणा प्रपत्र एसटी–18 नहीं था इस कारण से सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसाई को नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब व्यवसाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं साथ ही वांछित घोषणा प्रपत्र एसटी 18–ए एवं क्रेता व्यवसाई के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर परिवहनित किये जा रहे माल धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार हैं, जिसके द्वारा उदयपुर में हॉस्पिटल का ठेका लिया हुआ था। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना देखें ही शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई हैं, जो वैधानिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ठेकेदार का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है दिल्ली से माल आ रहा था, जो कि ठेके के कार्य में प्रयुक्त होना था। परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ एसटी–18ए घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। प्रत्यर्थी की कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी एक ठेकेदार है। उदयपुर हॉस्पिटल (अमेरिकन इन्टरनेशनल हेल्थ मैनेजमेन्ट) का ठेका लिया हुआ है। वर्क ऑर्डर की प्रतियां प्रस्तुत कर दी गई थी। सशक्त अधिकारी द्वारा कन्साईनी उदयपुर हॉस्पिटल अंकित कर दिये जाने के कारण शास्ति का आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी एक ठेकेदार है और ठेके के समस्त कार्य ई.सी. में है। निर्धारित ई.सी. फीस जमा करनी होती है। इस निर्धारित ई.सी. फीस ही जमा करानी है तो करापवंचन की कोई मंशा नहीं रहती है। माल राज्य के बाहर से आयात कर, ठेके के कार्य में प्रयुक्त किया गया है, जिस पर मैसर्स त्रिवेणी इंजिनियरिंग 25 टी.डब्ल्यू. 241 में किये गये निर्णय के अनुसार कोई कर देय नहीं बनता है। इस आधार पर करापवंचन की कोई मंशा प्रतीत नहीं होती है। माल के साथ वांछित घोषणा प्रपत्र एसटी–18ए नहीं था, जो कि नोटिस के जवाब के साथ प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। यदि जवाब के साथ भी घोषणा प्रपत्र एसटी–18ए प्रस्तुत कर दिया जाता है तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। अन्य सभी दस्तावेज वाहन के साथ मौजूद थे, जिनको सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया था। इस प्रकार भलीभांति प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी एक ठेकेदार है एवं ई.सी. के तहत् निर्धारित फीस जमा कराता है तथा उसके द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात कर ठेके के कार्य में प्रयुक्त किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की कर देयता नहीं बनती है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष